

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
कार्यालय आदेश

पत्रांक 405/321

पटना दिनांक 08/05/2025

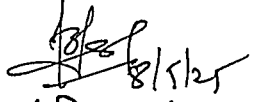
शा.वि०- 08 लोकपाल (अतिरिक्त प्रभार) 06/2024

श्री शिव कुमार ठाकुर, लोकपाल (मनरेगा), भोजपुर को पटना, श्री श्रीकांत ठाकुर, लोकपाल (मनरेगा) सीतामढ़ी को शिवहर एवं श्री राम निरंजन चौधरी लोकपाल (मनरेगा), जमुई को बांका जिले में लोकपाल (मनरेगा) के रिक्त पद के विरुद्ध अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. यह व्यवस्था पूर्णरूपेण अस्थाई है । लोकपाल के रिक्त पद पर विभाग द्वारा नियुक्ति के पश्चात यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

3. उल्लिखित लोकपाल को अतिरिक्त प्रभार के लिए मुल जिले में निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त 10,000/- (दस हजार) रुपये देय है एवं इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का अन्य भत्ता देय नहीं है ।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

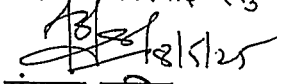

(रवि कुमार)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 405/321

पटना, दिनांक 08/05/2025

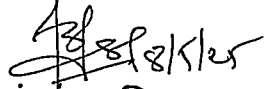
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार बीरचन्द्र पटेल पथ, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हेतु प्रेषित ।


संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 405/321

पटना, दिनांक 08/05/2025

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी / उप विकास आयुक्त, पटना, भोजपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, बांका एवं जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 405/321

पटना, दिनांक 08/05/2025

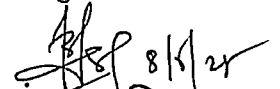
प्रतिलिपि:- श्री शिव कुमार ठाकुर, लोकपाल (मनरेगा), भोजपुर / श्री श्रीकांत ठाकुर, लोकपाल (मनरेगा) सीतामढ़ी एवं श्री राम निरंजन चौधरी लोकपाल (मनरेगा), जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 405/321

पटना, दिनांक 08/05/2025

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के आप्त सचिव / संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRDS / आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


संयुक्त सचिव